



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
पंचायती राज

क्रमांक : एफ 165(13)/परावि/एफ.एफ.सी/निष्पादन/2018-19/

जयपुर, दिनांक:-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद-समस्त। (सीकर, दौसा, चुरू, बीकानेर एवं अलवरको छोड़कर)

विषय:- 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में निष्पादन अनुदान हेतु पात्रता की सूचना भिजवाने बाबत।

प्रसंग:- विभागीय पत्र क्रमांक एफ 165(13)/परावि/एफ.एफ.सी/निष्पादन/2018-19/6915 दिनांक 18.10.2018, 7554 दिनांक 12.11.2018 एवं 7897 दिनांक 27.11.2018

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2018-19 में जारी की जाने वाली निष्पादन अनुदान राशि की पात्रता हेतु वांछित शर्तों की पालना करने वाली पंचायती राज संस्थाओं की सूचना संदर्भित पत्र के साथ-संलग्न प्रपत्र में दिनांक 31.10.2018 तक चाही गई थी, परन्तु आपकी जिला परिषद के अधीन ग्राम पंचायतों की सूचना आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः पुनः लेख है कि वांछित सूचना 7 दिवस में आवश्यक रूप से विभागीय ई-मेल आई.डी. [raipr.fa@rajasthan.gov.in](mailto:raipr.fa@rajasthan.gov.in) पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके अधीन ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान की राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीया

-Sd-

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : एफ 165(13)/परावि/एफ.एफ.सी/निष्पादन/2018-19/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

8209-12

जयपुर, दिनांक:-

21.12.2018

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विकास अधिकारी संबंधित जिला परिषद।
3. सरपंच/ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत समस्त जरिये विभागीय वेबसाईट।
4. प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार